(26)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(26)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/बैतूल/भू.रा./2017/4380 विरूद्ध आदेश दिनांक 07.09.2017 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 230/अपील/11-12.

---

1. श्रीमती जनकदुलारी बेवा होमेश्वर झाड़े
2. हर्षा पुत्री होमेश्वर
3. भावना पुत्री श्री होमेश्वर

समस्त निवासी वागदे इंजीनियर के पीछे, नागदेव मंदिर के पास
द्वारका नगर बडोरा तहसील व जिला बैतूल
हालमुकाम, जबलपुर तह. व जिला जबलपुर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. भूदेव वल्द नूरचंद
   हालनिवासी देहगुड़, तहसील आठनेर,
   जिला बैतूल
2. थामदेव वल्द नूरचंद
   हालनिवासी विकास नगर, आठनेर
   जिला बैतूल
3. सोमेश्वर वल्द नूरचंद
   हालनिवासी विकास नगर, आठनेर
   जिला बैतूल .....अनावेदकगण

श्री विश्वास सोनी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री संतोष दोते, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/9/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित् दिनांक 07.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रकरण में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगबाद के प्रश्नाधीन प्रकरण क्र. 230/अपील/11-12 जो कि दिनांक 06.10.2016 को आवेदकगण या उनके अभिभाषक की सूचनापरांत अनुपस्थिति की दशा में अदम पैरवी में खारिज किया गया है, उक्त प्रकरण को पुन: नंबर पर कायम करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 07.12.2016 को आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र निर्धारित अवधि में न होकर लगभग 31 दिवस विलंब से पेश किया गया। विलंब से प्रस्तुत किये जाने का कारण आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र में यह उल्लेखित किया गया कि "भूलवश प्रकरण डायरी में नोट न करने तथा इस भूल व त्रुटि के कारण" नियत दिनांक 06.10.2016 को प्रकरण में सूचनापरांत अनुपस्थिति रहने से प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हुआ है, किन्तु प्रकरण पुन: नंबर पर कायम करने के आवेदन जो कि 31 दिवस उपरांत प्रस्तुत किया है, उसके संबंध में कोई समाधानकारक कारण आवेदन व शपथ पत्र में उल्लेखित नहीं होने से आयुक्त, होशंगाबाद द्वारा दिनांक 07.09.2017 को आवेदन पत्र निरस्त किया गया। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय ने संहिता की धारा 35(3) के अधीन वर्णित प्रावधानों का समुचित परिशीलन किये बगैर ही आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत पुर्नस्थापन आवेदन पत्र निरस्त करने में विधि की गंभीर भूल की है। पारित आदेश दिनांक 07.09.2017 केवल इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि अदम पैरवी में निरस्त अपील को पुर्नस्थापन हेतु पर्याप्त व उचित कारण आवेदकगण की ओर से दर्शित किया गया था एवं उक्त अपील की निरस्ती में आवेदकगण की कोई त्रुटि नहीं थी। विधि का भी यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभिभाषक की त्रुटि के लिए किसी भी पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाना चाहिए। इन विधिक सिद्धांतों के आलोक में भी उक्त पुर्नस्थापन आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य था एवं आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अपील इसी आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह नहीं देखा गया कि धारा 35(3) के प्रावधानों के अनुसार व्यतिक्रम के आधार पर पारित आदेश की जानकारी दिनांक से 30 दिवस के भीतर एकपक्षीय आदेश (व्यतिक्रम आदेश) निरस्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना दर्शित किया गया है। उक्त व्यतिक्रम के कारण खारिज अपील की जानकारी जैसे ही आवेदक को प्राप्त हुई उक्त आदेश की जानकारी दिनांक से आवेदक द्वारा पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया था। उक्त पुर्नस्थापन आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक अभिभाषक का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार उक्त पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रमाणिक व अखण्डनीय था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त पुर्नस्थापन आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र पर विश्वास न करते हुए विधि की गंभीर भूल की है। पारित आदेश दिनांक 07.09.2017 केवल इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि तकनीकी आधारों पर न्याय की निष्फलता न हो तथा पक्षकारों के प्रकरणों का निराकरण गुण दोषों के आधार पर किया जाना चाहिए, व्यतिक्रम में निरस्त अपील को पुर्नस्थापित किये जाने में अति तकनीकी रूख भी नहीं अपनाया जाना चाहिए, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर ध्यान दिये बगैर ही आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत पुर्नस्थापन आवेदन पत्र निरस्त करने में विधि की गंभीर भूल की है।

(5) विधि के मार्गदर्शित सिद्धांतों में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि जिनमें माननीय उच्च न्यायालय तथा राजस्व मंडल के अनेक न्याय दृष्टांत हैं, जिनमें अवधारित है कि अभिभाषक की त्रुटि के लिए पक्षकार को दण्डित नहीं किया जा सकता। वास्तविक रूप से विधिक सिद्धांत यह है कि यदि नियत दिनांक को आवेदकगण के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए थे, तब न्यायालय को आवेदकगण को व्यक्तिशः उपस्थित होने की सूचना दी जाने चाहिए थी एवं

मामला खारिज नहीं करना चाहिए था। ऐसा विधिक सिद्धांत राजस्व मंडल द्वारा पारित किया गया है तथा अभिभाषक की दैनिक डायरी में तिथित अंकित न किये जाने के आधार पर भी प्रकरण के पुर्नस्थापन को पर्याप्त व उचित आधार माना गया है। इन विधिक सिद्धांतों के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय को उक्त पुर्नस्थापन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा न करते हुए आवेदकगण के पुर्नस्थापन आवेदन पत्र को निरस्त करने में विधि की गंभीर भूल की है।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा दिनांक 6-10-2016 को प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया था । आवेदक द्वारा दिनांक 7-12-2016 को पुर्नस्थापन आवेदन दिया गया था, जो आयुक्त द्वारा निरस्त किया गया है जिसकी यह निगरानी की गई है । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 4-9-2014 को प्रकरण आदेशार्थ नियत हुआ था । फिर प्रकरण उप आयुक्त द्वारा सीधे दिनांक 16-06-2016 को लिया गया तथा दिनांक 6-10-2016 को नियत किया। दिनांक 6-10-2016 को नोटिस अदम तामील प्राप्त हुये । फिर भी प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया । स्पष्ट है कि आयुक्त न्यायालय द्वारा बिना सूचना के प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया था । अतः आयुक्त को प्रकरण पुर्नस्थापित कर गुणदोष पर निराकरण करना चाहिये था । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-9-2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण आयुक्त को गुणदोष पर निराकरण करने के लिये प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-9-2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण करने के लिये आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर